



## Development & Panchayats Department

### विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा

Haryana Panchayat Bhawan, Plot No.3, Sector-28A, Chandigarh-160026  
(Phone)0172-2638754, 2640430, 2650072, (Fax)0172-2651636, 2638755  
E-mail: [panchayatsdpt@gmail.com](mailto:panchayatsdpt@gmail.com), Website: [www.harpanchayats.gov.in](http://www.harpanchayats.gov.in)



रजि०

प्रेषक,

महानिदेशक,  
विकास एवं पंचायत विभाग,  
हरियाणा चण्डीगढ़।

सेवा में,

उपायुक्त, गुरुग्राम।

विषय:- कमांक ई०सी०ए०-5-2025 / दिनांक  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना दिनांक 02.06.2023 द्वारा नगर परिषद पटौदी हेली मंडी के भंग होने उपरांत स्थापित ग्राम पंचायत जनौला की असाधारण गजट में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 08.04.2025 की अंग्रेजी तथा हिन्दी की प्रतियां भेजने बारे।

उपरोक्त विषय बारे शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना दिनांक 02.06.2023 द्वारा नगर परिषद पटौदी हेली मंडी के भंग होने उपरांत स्थापित ग्राम पंचायत जनौला की असाधारण गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का० आ० 24/ह०अ० 11/1994/धा० 7 तथा 8/2025 दिनांक 08.04.2025 की अंग्रेजी तथा हिन्दी की प्रति आपको सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित है।  
सलंगन:- उक्त।

अधीक्षक (चुनाव)  
कृते: महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग,  
हरियाणा चण्डीगढ़।

पृष्ठकन कमांक ई०सी०ए०-2-2025 / 19572-80 दिनांक 2/5/25  
उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।  
1. राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा, निर्वाचन सदन, सैक्टर 17, पंचकूला।  
2. निदेशक, सूचना जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, एस०सी०ओ० नं० 23 ए०, मध्य मार्ग, सैक्टर 7 सी० चण्डीगढ़।  
3. निदेशक, हरियाणा विकास संस्थान नीलोखेडी, जिला करनाल।  
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, गुरुग्राम।  
5. प्रधानाचार्य क्षेत्रीय राज्य पंचायती राज सामुदायिक विकास संस्थान, नीलोखेडी, (जिला करनाल)।  
6. प्रधानाचार्य क्षेत्रीय राज्य पंचायती राज सामुदायिक विकास संस्थान, भिवानी।  
7. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, गुरुग्राम।  
8. कार्यकारी अभियन्ता (आई०टी०) आई०टी०सैल मुख्यालय।  
सलंगन:- उक्त।

अधीक्षक (चुनाव)  
कृते: महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग,  
हरियाणा चण्डीगढ़।

Re update LCD. - Meenu.

Re. upload on website - Mohit.

Meenu/Mohit

2/5/25

**HARYANA GOVERNMENT**  
**DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT**

**Notification**

The 8th April, 2025

No. S.O. 24/H.A. 11/1994/S. 7 and 8/2025.— In exercise of the powers conferred under sub sections (1) and (3) of section 7 read with sub-section (1) of section 8 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (11 of 1994), the Governor of Haryana hereby declares the village specified under column 3 of the Schedule given below to be sabha area and establishes Gram Panchayat by the name of Janaula as specified under column 4 of the said Schedule for the said sabha area in block and district as specified under columns 1 and 2 respectively of the said Schedule, namely:-

**SCHEDULE**

| Name of block | District | Name of Village/sabha area | Name of Gram Panchayat |
|---------------|----------|----------------------------|------------------------|
| 1             | 2        | 3                          | 4                      |
| Farrukh Nagar | Gurugram | Janaula                    | Janaula                |

AMIT KUMAR AGRAWAL,  
Commissioner and Secretary to Government Haryana,  
Development and Panchayats Department.

## PART-III

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 अप्रैल, 2025

संख्या का०आ० 24/ह०अ० 11/1994/धा० 7 तथा 8/2025.— हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11) की धारा 8 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (1) तथा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 3 में विनिर्दिष्ट गांव को सभा क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं तथा उक्त अनुसूची के क्रमशः खाना 1 तथा 2 में यथा विनिर्दिष्ट खण्ड तथा जिला में उक्त सभा क्षेत्र के लिए उक्त अनुसूची के खाना 4 में यथा विनिर्दिष्ट जनौला के नाम से ग्राम पंचायत स्थापित करते हैं, अर्थात्:-

अनुसूची

| खण्ड का नाम | जिला      | गांव/सभा क्षेत्र का नाम | ग्राम पंचायत का नाम |
|-------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| 1           | 2         | 3                       | 4                   |
| फारुखनगर    | गुरुग्राम | जनौला                   | जनौला               |

अमित कुमार अग्रवाल,  
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
विकास तथा पंचायत विभाग।

Muhammad Mohit